नई दिल्ली, 23 मार्च, 2020

स.का.नि. (अ) आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात्
उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पद्धति धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,
भारत सरकार, वित मंत्रालय (राजस्थान विभाग) की अधिसूचना सं. 26/2019-केंद्रीय कर, तारीख 28 जून, 2019, जो भारत के
राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 452(अ), तारीख 28 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में
निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:

उक्त अधिसूचना के, पहले पैरा में, दूसरे और तीसरे परार्क के लिए निम्नलिखित पंखुकू के प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"परंतु यह और कि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की दशा में, जिनका मूल कार्यालय स्थान भूतपूर्व जमू-कश्मीरी
राज्य में है, जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 51 के उपर्युक्त के अधीन केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम
66 के साथ पद्धति उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन प्रलय जीएसटीआर-7 में लोट पर कर कटोरी की अपेक्षा है, जुलाई, 2019 से अक्टूबर, 2019 तक प्रत्येक मास के लिए विवरणी इलेक्ट्रानिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 24 मार्च, 2020 को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी.

परंतु यह भी कि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की दशा में, जिनका मूल कार्यालय स्थान भूतपूर्व जमू-कश्मीर-सांघ
राज्यक्षेत्र में या लदाख संघ राज्यक्षेत्र में है, जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 51 के उपर्युक्त के अधीन केंद्रीय माल और
सेवा कर नियम, 2017 के नियम 66 के साथ पद्धति उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन प्रलय
जीएसटीआर-7 में लोट पर कर कटोरी की अपेक्षा है, नवंबर, 2019 से फरवरी, 2020 तक प्रत्येक मास के लिए विवरणी इलेक्ट्रानिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 24 मार्च, 2020 को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी।""

2. यह अधिसूचना 20 दिसंबर, 2019 से प्रभावी हुई समाधी जाएगी।

[फा. सं. CBEC-20/06/04/2020-जीएसटी]

प्रमोद कुमार
निदेशक, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 26/2019-केंद्रीय कर, तारीख 28 जून, 2019, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 452(अ),
तारीख 28 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चातवव्याप संशोधन अधिसूचना सं. 78/2019-केंद्रीय कर, तारीख 26
dिसंबर, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. 957(अ) तारीख 26 दिसंबर, 2019 द्वारा संशोधित की गई थी।